



बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 28.07.25

थाना प्रेमनगर

थाना प्रेमनगर #bareillypolice रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1.70 लाख रुपये हड़पने वाले 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा आवेदक को रेलवे में नौकरी का झांसा देकर नौकरी के फर्जी दस्तावेज तैयार करना व आवेदक से धोखाधड़ी कर 1,70,000 (एक लाख सत्तर हजार रुपये) हड़प लेने के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 0278/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस की घटना से संबंधित अभियुक्तगण 1. अनूप कुमार सक्सैना पुत्र श्री हर नन्दन बाबू सक्सैना निवासी 95ए सिविल लाईन थाना कोतवाली जिला बरेली उम्र 56 वर्ष 2. विनित पुत्र सत्य प्रकाश निवासी मोहल्ला जाटवपुरा थाना प्रेमनगर जिला बरेली उम्र 29 वर्ष 3. रोहित सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी कृष्णा बिहार निकट GRM स्कूल के पास थाना प्रेमनगर जिला बरेली उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण - आवेदक तरुण जौहरी पुत्र राकेश जौहरी नि0 भूड थाना प्रेमनगर बरेली द्वारा नौकरी लगवाने के नाम पर 1,70,000 रु0 हड़प लेने के संबंध में थाना प्रेमनगर बरेली पर दिनांक 26.07.25 को मु0अ0सं0 0278/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस बनाम 1. अनूप कुमार सक्सैना पुत्र श्री हर नन्दन बाबू सक्सैना निवासी 95ए सिविल लाईन थाना कोतवाली जिला बरेली उम्र 56 वर्ष 2. विनित पुत्र सत्य प्रकाश निवासी मोहल्ला जाटवपुरा थाना प्रेमनगर जिला बरेली उम्र 29 वर्ष 3. रोहित सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी कृष्णा बिहार निकट GRM स्कूल के पास थाना प्रेमनगर जिला बरेली उम्र 34 वर्ष 4. सुमित पुत्र नामालूम पंजीकृत कराया गया। मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण 1. अनूप कुमार सक्सैना पुत्र श्री हर नन्दन बाबू सक्सैना निवासी 95ए सिविल लाईन थाना कोतवाली जिला बरेली उम्र 56 वर्ष, 2. विनित पुत्र सत्य प्रकाश निवासी मोहल्ला जाटवपुरा थाना प्रेमनगर जिला बरेली उम्र 29 वर्ष 3. रोहित सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी कृष्णा बिहार निकट GRM स्कूल के पास थाना प्रेमनगर जिला बरेली उम्र 34 वर्ष को आज दिनांक 28.07.25 को गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही – अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही अभियान के अन्तर्गत थाना प्रेमनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.07.25 को आवेदक तरुण जौहरी पुत्र राकेश जौहरी नि0 भूड थाना प्रेमनगर बरेली थाना प्रेमनगर बरेली पर लिखित तहरीर देकर घटना के संबंध में अवगत कराया गया। जिस पर थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा उक्त सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा कई टीम बनाकर क्षेत्र में मामूर हो गये कड़ी मेहनत के प्रयास से मुकदमे से संबंधित अभियुक्तगण 1. अनूप कुमार सक्सैना पुत्र श्री हर नन्दन बाबू सक्सैना निवासी 95ए सिविल लाईन थाना कोतवाली जिला बरेली उम्र 56 वर्ष, 2. विनित पुत्र सत्य प्रकाश निवासी मोहल्ला जाटवपुरा थाना प्रेमनगर जिला बरेली उम्र 29 वर्ष व 3. रोहित सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी कृष्णा बिहार निकट GRM स्कूल के पास थाना प्रेमनगर जिला बरेली उम्र 34 वर्ष को आज दिनांक 28.07.25 समय 07.30 बजे कुदेशिया पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमे में नामित अभियुक्त सुमित तथा प्रकाश में आय अभियुक्त विनीत पाण्डेय की गिरफ्तारी शेष है।

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरण:-

अभियुक्तगणों द्वारा पूछने पर बताया कि साहब हम तीनों मिलकर रेलवे में नौकरी लगवाने का काम करते हैं तथा अनूप सक्सेना ने हमसे कहा कि मेरे दोस्त के बेटे तरुण जौहरी की नौकरी रेलवे में लगवानी है तो हम सबने अपने मिलकर तरुण से 1,70,000/- रु0 लिए तथा तरुण को कानपुर ले गये और वहां पर उसे फर्जी नियुक्ति पत्र व आई कार्ड दे दिया और जब तरुण नौकरी करने रेलवे अधिकारियों के पास पहुँचा तो उसे सभी बात के बारे में पता चल गया जिसके बाद तरुण ने अपने पैसे वापस मांगे।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अनूप कुमार सक्सेना पुत्र श्री हर नन्दन बाबू सक्सेना निवासी 95ए सिविल लाईन थाना कोतवाली जिला बरेली
2. विनित पुत्र सत्य प्रकाश निवासी मोहल्ला जाटवपुरा थाना प्रेमनगर जिला बरेली
3. रोहित सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी कृष्णा बिहार निकट GRM स्कूल के पास थाना प्रेमनगर जिला बरेली

पुलिस टीम का विवरण -

1. श्री आशुतोष रघुवंशी, प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर बरेली।
2. उ0नि0 मौ0 सरताज, चौकी प्रभारी कानूनगोयान
3. का0 243 अनित, थाना प्रेमनगर बरेली।
4. का0 1845 ओमकार, थाना प्रेमनगर बरेली।
5. का0 3720 अनुराग, थाना प्रेमनगर बरेली।